दी राजस्थान स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि0, जयपुर

व्यक्तियों, व्यापारिक फर्मो आदि की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु

अचल सम्पत्ति रहन के विरूद्ध ऋण योजना

परिचालानात्मक मार्ग निर्देश

(दिनांक 22.5.2014 को सम्पन्न संचालक मंडल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार बिन्दु संख्या 4.3 के संशोधन एवं बिन्दु संख्या 13.5 में ऋण समिति के परिवर्तनों को समाहित किया गया)

'' **अचल सम्पत्ति रहन के विरूद्ध ऋण योजना**'' बैंक के पत्र क्रमांक. 4962 दिनांक.19.09.2006 से जारी की गई है। शाखा स्टॉफ की सुविधा हेतु मार्ग निर्देश एवं योजना के प्रावधानों की व्यख्या में मतभेद की स्थिति में संलग्न योजना के प्रावधान मान्य व बाध्यकारी होगें।	
1–	उद्देश्य इस योजना के निम्न उद्देश्य होंगेः–
1.1	व्यक्ति की विधि सम्मत आकस्मिक पारिवारिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अचल सम्पत्ति रहन रख कर सावधि ऋण /लिमिट के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।
1.2	व्यापारिक फर्म की आकस्मिक व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अचल सम्पत्ति रहन रख कर सावधि ऋण/ लिमिट उपलब्ध करवाना।
1.3	किसी भी प्रकार की पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, वाहन क्रय हेतु, उच्च शिक्षा हेतु अतिरिक्त अचल सम्पत्ति निर्माण आदि कार्यों हेतु अचल सम्पत्ति रहन रख कर ऋण उपलब्ध करवाना।
1.4	इस योजनांतर्गत केवल एक स्थान पर स्थित अचल सम्पति पर ही ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। यदि सम्पत्ति दो अलग–अलग स्थानों पर है तो उनमें से बैंक के कार्य क्षेत्र में स्थित केवल एक सम्पत्ति के रहन के विरूद्ध ही ऋण दिया जा सकेगा।
1.5	एक सम्पत्ति के विरूद्ध एक प्रकार का ऋण ही स्वीकृत किया जा सकेगा। अर्थात जिस सम्पत्ति के निर्माण/ क्रय आदि हेतु आवास ऋण स्वीकृत है,पर ऋण बकाया रहने तक इस योजनान्तर्गत ऋण नहीं दिया जा सकेगा।
2–	पात्रता राजस्थान राज्य का कोई भी निवासी जो निम्नांकित परिधि में आता हो, इस योजनांतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता हैः–

2.1	सरकारी/अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्था अथवा सार्वजनिक (सीमित दायित्व) कम्पनियों में कार्यरत स्थाई वेतनभोगी कर्मचारी जिसके पास बैंक के कार्य क्षेत्र में रहन रखने हेतु भार रहित अचल सम्पत्ति वास्तविक कब्जे में उपलब्ध हो।
2.2	गैर वेतनभोगी व्यक्ति/विधिक व्यक्ति (पंजीकृत संस्था,व्यापारिक फर्म आदि)जो पिछले 3 वर्षो से आयकर निर्धारिती है एवं उसे स्थाई खाता संख्या आबंटित है एवं उसके पास बैंक कार्य क्षेत्र में रहन रखने हेतु भार रहित अचल सम्पत्ति वास्तविक कब्जे में उपलब्ध हो। • शीर्ष बैंक स्तर से जारी परिपत्र क्रमांक 10072 दिनांक 28–01–2010 के अनुसार इस हेतु यह ध्यान में रखा जावें कि तीन वर्ष की विवरणियॉ ऋण लेने के प्रयोजन से एक साथ भरकर खाना पूर्ति नहीं की हुई हो, अर्थात वर्ष विशेष की विवरणियॉ आयकर विभाग द्वारा हेतु निर्धारित समय अवधि में ही जमा करवाई गई हों। • गैर वेतनभोगी आवेदकों से आयकर विवरणियॅा के अतिरिक्त आर.एस.टी./सी.एस. टी/ठेकेदारों के मामले में विभाग में रजिस्ट्रेशन की प्रति प्राप्त कर आयकर विवरणी में से तुलनात्मक जानकारी की जाकर आय की सुनिश्चितता की जावें, ताकि ऋण पुर्नभुगतान क्षमता का सही– सही आंकलन किया जा सकें। • अस्थाई प्रकृति की आय जैसे सिलाई, ट्यूशन पढाने, हॉकर, बच्चों के पालनागृह चलाना को दीर्घावधि आय के स्त्रोत नहीं माना जायें अर्थात ऋण की पुर्नभुगतान क्षमता के आंकलन में इस प्रकार के व्यवसाय से दर्शायी जाने वाली आय को सम्मिलित नहीं किया जायें। • शीर्ष बैंक के परिपत्र क्रमांक 10072 दिनांक 28–01–2010 से निर्देशित किया गया था कि '' एक ही भूमि पर भू–खण्ड क्रय करने एवं निर्माण हेतु आवास ऋण स्वीकृति उपरांत स्वीकृत ऋण के बकाया रहने तक उसी भूमि पर मोर्गेज ऋण अथवा अन्य कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया जावेगा।'' तदउपरांत शीर्ष बैंक के परिपत्र क्रमांक 4464 दिनांक 4–8–2010 से उक्त नियम में संशोधन करते हुये निर्णय लिया गया कि यदि कोई ऋणी पूर्व में लिये गये ऋण की नियमित किश्तें तीन–चार वर्षो से जमा करवा रहा है तथा उसकी आय के अनुसार नवीन ऋण की पुर्नभुगतान क्षमता भी बनती है तो ऐसे ऋणी/ ग्राहकों को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के अतिरिक्त अन्य उदे्श्य हेतु पूर्ववर्ती ऋण से निर्मित सम्पत्ति की सिक्यूरिटी पर इस शर्त के साथ ऋण दिया जा सकेगा कि दोनो ऋणों के विरूद्व कुल बकाया की सीमा सम्पत्ति के मूल्यांकन के आधे तक ही सीमित हो अर्थात दोनो ऋण अन्तर्गत अधिकतम बकाया से दूगने मूल्य की सम्पत्ति बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन माप दण्डों के अनुरूप उपलब्ध हों। आवेदनकर्त्ता की नौकरी अथवा व्यवसाय से होने वाली आय से दोनों ऋणों की पुर्नभुगतान क्षमता सुनिश्चित की जावें। • किसी व्यक्ति विशेष को एक से अधिक ऋण स्वीकृत करते समय नाबार्ड की ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था (सीएमए) में निर्देशित एक्सपोजर नोर्मस की सीमा का ध्यान रखा जावे, जो वर्तमान में प्रति व्यक्ति(व्यक्ति, एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप फर्म आदि) अधिकतम रूपये 60.00 लाख है।
2.3	अचल सम्पत्ति आवासीय भूमि/भवन, वाणिज्यिक भूमि/निर्मित परिसर आदि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो तथा ऋणी के नाम पर उसके वास्तविक कब्जे में होनी चाहिये। इसमें मशीनरी आदि सम्मिलित नहीं होगी।

2.4	इस योजनांतर्गत ऋण दो व्यक्तियों के संयुक्त नाम पर भी स्वीकृत किये जा सकेंगे। गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में दोनों व्यक्तियों में से कम से कम एक का आयकर निर्धारिती होना आवश्यक है। सह-ऋण प्रार्थी पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्र अथवा पुत्रवधु हो सकती है।
2.5	आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष हो सकती है। अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत सह–आवेदक या आवेदक किसी एक की आयु अनुमत सीमा में होने पर ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा चाहे द्वितीय आवेदक सह– आवेदक की आयु अधिक हो।
3	<u>योजना का कार्यक्षेत्र</u> इस योजना के अंतर्गत दी राजस्थान स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि0 की शाखाओं द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले पचास हजार से अधिक की जनसंख्या वाले कस्बे/शहर में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों को ऋण दिया जा सकेगा जिनकी रहन रखने योग्य अचल सम्पत्ति भी बैंक कार्यक्षेत्र वाले कस्बे/शहर में स्थित हो।
4	<u>ऋण राशि एवं ऋणी का अंशदान</u>
4.1	न्यूनतम ऋण राशि रूपये 1.00 लाख एवं अधिकतम रूपये 35.00 लाख का ऋण दिया जा सकेगा।
4.2	अचल सम्पत्ति की डीएलसी कीमत अथवा बाजार दर दोनों में से जो भी कम हो, की 60 प्रतिशत राशि तक का ऋण इस योजनांतर्गत उपलब्ध कराया जा सकेगा। सम्पत्ति की कीमत का आंकलन बैंक के अधिकृत मूल्यांकनकर्ता से कराया जावेगा।
4.3	यह ऋण निम्न प्रकार से ऋणी की आवश्यकतानुसार स्वीकृत किया जा सकेगाः– 1. सावधि ऋणः– अधिकतम 10 वर्ष हेतु। 2. साख सीमा के रूप में लिमिट– **अधिकतम रूपये 5.00 लाख तक ही स्वीकृत की जावें, यदि ऋणी की पात्रता अधिक राशि की बनती है तो शेष राशि पूंजीगत ऋण के रूप में स्वीकृत की जावें।** शाखा प्रबंधक साख सीमा के रूप में लिमिट नवीनीकरण के समय खाते में समय पर ब्याज व अन्य चार्जेज जमा होना तथा खाते का टर्मऋण नहीं होना ध्यान में रखे। खाते से लेन देन दोनो ही तथा बकाया का स्तर कम ज्यादा होता रहा हों।
5	<u>ऋण की अवधि</u>

5.1	इस योजनांतर्गत ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि (स्थगन एवं पुर्नभुगतान अवधि सहित) गैर वेतनभोगी आवेदक एवं वेतनभोगी कर्मचारी के मामले में 10 वर्ष अथवा कर्मचारी के सेवानिवृति की तिथि अथवा अन्य मामलों में 65 वर्ष की आयु में से जो भी कम होगी, के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत सह–आवेदक या आवेदक किसी एक की आयु अनुमत सीमा में होने पर ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा चाहे द्वितीय आवेदक सह– आवेदक की आयु अधिक हो।
5.2	ऋण पुनर्भुगतान की अवधि का निर्धारण ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता एवं ऋण राशि के आधार पर किया जावेगा।
5.3	साख सीमा के रूप में लिमिट स्वीकृति पर प्रति वर्ष लिमिट का नवीनीकरण निर्धारित अवधि पूर्व करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लिमिट अवधिपार हो जावेगी एवं ऐसी दशा में बैंक द्वारा एक मुश्त ऋण वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी एवं ऋणी द्वारा दण्डनीयब्याज भी देय होगा।
6	ऋण पर ब्याज
6.1	योजनांतर्गत अग्रिम किये गये ऋण पर ब्याज दर बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती रहेगी एवं सावधि ऋण स्वीकृति के समय जो ब्याज दर होगी वह उक्त ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान अवधि तक लागू रहेगी। परिवर्तनीय ब्याज दर का विकल्प लेने पर बैंक द्वारा ब्याज दर में परिवर्तन के साथ स्वमेव ही ब्याज दर में परिवर्तन हो जावेगा। वर्तमान में इस योजना में परिवर्तनीय ब्याज दर का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
6.2	साख सीमा के रूप में स्वीकृत ऋण पर परिवर्तनीय ब्याज दर लागू होगी अर्थात बैंक द्वारा परिवर्तित ब्याज दर खाते में बकाया राशि पर उक्त परिवर्तन की दिनांक से लागू हो जावेगी।
6.3	ऋण राशि पर ब्याज मासिक आधार पर वसूल किया जावेगा।
6.4	समान मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने पर अवधिपार राशि पर 3.00 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्डनीय ब्याज भी चूक की अवधि तक, चूक की राशि पर अतिरिक्त वसूल किया जावेगा। दण्डनीय ब्याज भी मासिक आधार पर वसूल किया जावेगा।
7–	पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन
7.1	सामान्यतया ऋण की पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन ऋणी की आय के अधिकतम 50 प्रतिशत के बराबर पर किया जावेगा परन्तु वेतन से होने वाली कटौतियों, मासिक खर्चों एवं बचत क्षमता के आधार पर इसे कम भी किया जा सकेगा। इस संबंध में नाबार्ड की ऋण अनुप्रवर्तन प्रणाली अन्तर्गत व्यक्तियों हेतु निर्धारित एक्सपोजर मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करनी होगी साथ ही ऋण वितरण से पूर्व स्वंय शाखा प्रबंधक द्वारा सम्पत्ति का भौतिक सत्यान किया जावेगा। भौतिक सत्यापन के दौरान ध्यान में रखे जाने योग्य बिन्दु आगे एफआई कर्त्ता हेतु अंकित बिन्दुओं को ही माना जावें।
7.2	संयुक्त अथवा सह–ऋणी के मामले में पुनर्भुगतान क्षमता की गणना दोनों की कुल आय के 40 प्रतिशत के बराबर ली जा सकेगी (यदि सयुक्त / सह– ऋणी वेतनभोगी कर्मचारी हों
7.3	वेतनभोगी कर्मचारियों के अतिरिक्त विधिक व्यक्ति की आय की गणना पिछले 3 वर्षों की औसत वार्षिक आय के आधार पर की जावेगी। तीन वर्ष की आय का आधार आयकर विभाग में जमा विवरणियों की प्रतियों को माना जावेगा। यह सुनिश्चित किया जावेगा कि विवरणियॉ जिस वित्त वर्ष की है उसी वर्ष हेतु अनुमत अवधि में जमा करवाई गई है अर्थात

	तीन वर्ष की विवरणियॉ एक ही वर्ष में जमा करवाये जाने की स्थिति में आवेदक को पात्र नहीं माना जावेगा। स्थायी वेतनभोगी आवेदकों के मामले में अंतिम प्रमाणित वेतन स्लीप (आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित) में अंकित आय में से कटौतियों को घटाकर व बैंक खाते की प्रति एवं सिबिल रिपोर्ट से अन्य कटौतियों को ध्यान में रखते हुये पुर्नभुगतान क्षमता का आंकलन किया जावेगा।
7.4	पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर ऋणी द्वारा मासिक समान किश्तों में पुनर्भुगतान किया जावेगा एवं पुनर्भुगतान ऋण राशि निर्गमित करने की दिनांक के अगले माह से ही प्रारम्भ हो जावेगी।
7.5	ऋणी /एवं सह–ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन करते समय उनके द्वारा अन्य संस्थाओं से लिये गये ऋण, खर्चों आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।
8	ऋण की सुरक्षा/प्रत्याभूति इस योजनांतर्गत अग्रिम किये गये ऋण को निम्नानुसार प्रत्याभूति प्राप्त कर सुरक्षित किया जावेगा :–
8.1	जिस अचल सम्पत्ति को रहन रख कर ऋण लिया गया है वह सम्पूर्ण सम्पत्ति बैंक के पक्ष में साम्य/पंजीकृत बंधक के रूप में रहेगी तथा बैंक का उस सम्पत्ति पर प्रथम भार रहेगा। इस हेतु ऋण की सुरक्षा के लिये दी जाने वाली अचल सम्पत्ति पर स्वामित्व की जॉच विधि अधिकारी/सलाहकार से सुनिश्चित की जावेगी। तत्पश्चात ऐसी सम्पत्ति को बैंक के पक्ष में गिरवी रखने हेतु साम्य बंधक(मुनपजंइसम उवतजहंहम इल जतंदेमित व जिपजसम कममके) किया जावेगा जिसके तहत सम्पत्ति के मालिकान हक संबंधित मूल दस्तावेज निर्धारित पत्र के साथ बैंक को सुपुर्द किये जावेगें जिसकी पुष्टि अन्तरदेशीय पत्र से करनी होगी। प्राप्त किये गये दस्तावेज लेमिनेटेड नहीं होने चाहिये। विधिक राय में टाईटल डीड की चैन ऑफ टाईटल निरन्तर एवं पूर्ण होनी चहिये। इस प्रकार साम्य बंधक की गई सम्पत्ति के मूल दस्तावेज का इन्द्राज शाखा स्तर पर रजिस्टर में किया जावेगा एवं मूल दस्तावेज संबंधित शाखा प्रबंधक एवं एक अन्य अधिकारी के संयुक्त सुरक्षा (रवपदज बनेजवकल) में लॉकर में रखें जावेगें। किन्हीं भी स्थितियों में मूल डॉक्यूमेन्टस संबंधित पत्रावलियों में नहीं रखे जावे एवं उपरोक्तानुसार सुरक्षित रखे जावें। शाखा को बंधक रखे गये कूल दस्तावेजो का पृथक रजिस्टर में केसवार विवरण रखा जावें।
8.2	प्रार्थी द्वारा प्राप्त ऋण एवं उस पर लगाये गये ब्याज के पूर्ण भुगतान के लिये बैंक सन्तुष्टि वाली आर्थिक क्षमता वाले एक व्यक्ति की जमानत। जमानतदार का फोटो व बैंक खाते की प्रति प्राप्त की जावें। जमानतदार का केपीटल खाता व उसकी आवर्ति आय जॉची जावें। जमानतदार की आयकर विवरणियॉ प्राप्त की जावे। जमानतदार ने स्वंय कितनी राशि के ऋण ले रखें है, अन्य कितनी राशि की जमानत दे रखी है, आदि बिन्दु ध्यान में रखे जावे। जमानतदार की क्षैत्र में साख की जानकारी व सिबिल रिपोर्ट प्राप्त की जावें।
8.3	ऋणी द्वारा निर्धारित मासिक समान किश्तों के अग्रिम चैक (अन्य बैंक के) बैंक के पक्ष में भर कर जमा कराने होंगे ताकि समान मासिक किश्तों का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। ईसीएस का मेनडेट प्राप्त करने की स्थिति में तीन हस्ताक्षरित रेखांकित चैक प्राप्त किये जावें।

9	बीमा
9.1	योजनांतर्गत रहन रखी गई सम्पत्ति का आग एवं अन्य खतरों के लिये बैंक एवं ऋणी के संयुक्त नाम से बीमा करवाना अनिवार्य होगा। बीमा के प्रीमियम की राशि का भुगतान ऋणी द्वारा किया जावेगा। ऋणी द्वारा बीमा नहीं कराने की स्थिति में बैंक द्वारा बीमा कराया जावेगा जिसके प्रीमियम की राशि ऋणी के ऋण खाते में नामे लिखी जावेगी।
9.2	ऋणी/एवं सह–ऋणी को बैंक द्वारा लागू व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं जीवन सुरक्षा बीमा भी अपने स्वयं के खर्चे पर कराना होगा। ऋण स्वीकृति से पूर्व ऋणी को समस्त प्रावधानों से अवगत करवाकर प्रीमियम भुगतान की सहमति प्राप्त की जावें।
9.3	प्रारम्भिक तौर पर ऋण लेने के एक माह के अंदर सम्पत्ति का बीमा कराना होगा तथा बाद में उसका प्रति वर्ष नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा जिनकी छाया प्रति ऋणी द्वारा शाखा प्रबन्धक को उपलब्ध कराई जावेगी। समय पर बीमा सुनिश्चित करने के लिये शाखा प्रबन्धक द्वारा ड्यू डेट डायरी रखी जावेगी।
9.4	वर्णित बीमा योजनाओं का प्रीमियम बैंक द्वारा जमा कराने पर ऋण खाते में नामें लिखी जावेगी, जो स्वीकृत ऋण के अतिरिक्त ऋण मानी जावेगी।
10	स्वीकृत ऋण का आहरण
10.1	सावधि ऋण के मामले में ऋणी द्वारा स्वीकृत ऋण का आहरण एकमुश्त किया जा सकेगा। इस हेतु शाखा प्रबंधक ऋण के उपभोग की अधिकतम अवधि 4 माह व 4 माह तक उपयोग नहीं करने पर ऋण निरस्त करने या कमीटमेन्ट चार्जेज (आवास ऋण अनुसार) लगाने की शर्त स्वीकृति पत्र में रख सकते है। साख सीमा की दशा में लिमिट अन्तर्गत आवश्यकतानुसारऋणी, ऋण राशि के आहरण के लिये स्वतंत्र होगा।
11 11.1	सदस्यता ऋण के इच्छुक प्रार्थी/प्रार्थीगण तथा जमानतदार को आवश्यक रूप से बैंक का नोमिनल सदस्य बनना होगा। इस प्रयोजन हेतु प्रार्थीगण तथा जमानतदातार को 10/– रूपया सदस्यता शुल्क एवं उप–नियमों के तहत रूपये 1000/– की मियादी अमानत, जिसकी अवधि ऋण चुकारे की कुल अवधि से अधिक हो, जमा करानी होगी।
12	अन्य
12.1	स्वीकृत ऋण के दुरूपयोग अथवा अनुबन्ध एवं ऋण स्वीकृति की शर्तो का अथवा अन्यथा उल्लंघन पाये जाने पर बैंक को ऋण की स्वीकृति रद्द करने/ जारी किये गये ऋण की समस्त राशि मय ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं अन्य खर्चों के एकमुश्त वसूल करने का

<table>
<tr><td></td><td>अधिकार होगा।</td></tr>
<tr><td>13</td><td><u>ऋण स्वीकृति के अधिकार</u></td></tr>
<tr><td>13.1</td><td>शाखा स्तर पर ऋण स्वीकृति निम्न गठित कमेटी द्वारा की जावेगीः–
अ– सहायक महा प्रबंधक स्तर की शाखा–
1. सहायक महा प्रबंधक
2. वरिष्ठ प्रबंधक
3. प्रबंधक(ऋण)

ब– वरिष्ठ प्रबंधक स्तर की शाखा–
1. वरिष्ठ प्रबंधक
2. प्रबंधक(ऋण)</td></tr>
<tr><td>13.2</td><td>शाखा स्तर पर ऋणों हेतु पूर्व में प्रदत्त स्वीकृति के अधिकारों को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है–
<table>
<tr><td>वरिष्ठ प्रबंधक स्तर की शाखा ऋण समिति</td><td>रूपये 2.00 लाख तक</td></tr>
<tr><td>सहायक महाप्रबंधक स्तर की शाखा ऋण समिति</td><td>रूपये 5.00 लाख तक</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>13.3</td><td>शाखा स्तर की समिति की अनुशंसा पर प्रधान कार्यालय स्तर पर महाप्रबंधक की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समिति द्वारा रूपये 10.00 लाख तक का ऋण स्वीकृत किया जावेगा।
<table>
<tr><td>महाप्रबंधक</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>उप–महाप्रबंधक(परिचालन)</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>उप–महाप्रबंधक(लेखा एवं वित्त)</td><td>सदस्य सचिव</td></tr>
</table>
महाप्रबंधक को यह अधिकार होगा कि प्रधान कार्यालय स्तर पर प्राप्त होने वाले ऋण आवेदन पत्रों की वित्तीय जॉच प्रधान कार्यालय स्तर पर कार्यरत किसी अधिकारी को अधिकृत कर की जा सकेगी।</td></tr>
<tr><td>13.4</td><td>प्रबंध निदेशक बैंक द्वारा प्रधान कार्यालय स्तर की समिति की अनुशंसा पर रूपये 15.00 लाख तक का ऋण स्वीकृत किया जावेगा।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>13.5</td><td>रूपये 15.00 लाख से अधिक का ऋण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में गठित ऋण कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा।

<table>
<tr><td>श्रीमति लीला मदेरणा, अध्यक्ष</td><td>संयोजक</td></tr>
<tr><td>श्री अशोक कुमार फौजदार</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>श्री नारायण सिंह राठौड</td><td>lnL;</td></tr>
<tr><td>प्रबंध निदेशक</td><td>lnL; lfpo</td></tr>
</table>
प्रबंध निदेशक,बैंक समिति के सदस्य सचिव नामित है।</td></tr>
<tr><td>14</td><td><u>प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क</u></td></tr>
<tr><td>14.1</td><td>इस योजनांतर्गत ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के 1.00 प्रतिशत की दर से (न्यूनतम रूपये 1000/–) प्रसंस्करण शुल्क जमा कराना आवश्यक होगा। उक्त राशि में से ऋण आवेदन–पत्र के साथ रूपये 1000/– जमा कराने होंगे जो वापिस देय नहीं होंगे। शेष राशि ऋण अग्रिम से पूर्व जमा करानी आवश्यक होगी। यदि सर्विस टैक्स आदि भी देय हो तो वह ऋणी द्वारा पृथक से देय होगा।</td></tr>
<tr><td>15</td><td><u>दस्तावेजः</u></td></tr>
<tr><td>15.1</td><td>आवेदक द्वारा उक्त ऋण अग्रिम के संबंध में बैंक निम्नांकित दस्तावेज ऋण आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध कराने होंगे :–

1. गैर–वेतनभोगी आवेदक/सह आवेदक द्वारा गत 3 वर्ष की आयकर विवरणी दाखिल करने/एसेसमेन्ट आदेश की प्रति।

2. वेतनभोगी आवेदक/सह आवेदक की गत 3 माह के वेतन एवं कटौतियों का नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।
3. आवेदक/सह आवेदक का निवास का प्रमाण–पत्र (मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई लेखा संख्या की प्रति अथवा बिजली/ पानी के बिल की प्रति।)
4– आयु का प्रमाण–पत्र।
5– ऋण के उपयोग संबंधी विवरण ।
6– अचल सम्पत्ति के आवंटन/क्रय करने सम्बन्धी दस्तावेज (मालिकाना हक के दस्तावेज) की प्रति।
7– जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद द्वारा अनुमोदित मान–चित्र की प्रति या निर्माण की अनुमति।
8– रहन रखी जाने वाली अचल सम्पत्ति पर मालिकाना हक व हक का गत 15 वर्ष का भार रहित प्रमाण–पत्र।
9– सम्पत्ति लीज पर हो तो गत वर्ष तक की लीजमनी जमा की रसीद।</td></tr>
</table>

	10– सम्पत्ति पर देय अन्य कोई कर, यदि देय हो तो उसकी रसीद की प्रति।
	शीर्ष बैंक के लेखा एवं वित्त अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23–03–2011 के निर्देशानुसार ऋण प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व कम्प्यूटर पर इनटरनेट से संबंधित ग्राहक(आवेदक व सह–आवेदक) तथा गारण्टर की सिबिल की वेबसाईट cibil.com से CREDIT INFORMATION REPORT प्राप्त करें ताकि ऋणी तथा गारण्टर की विविध विगत के साथ– साथ अन्य बैंकों के साथ उनके चल रहे ऋण व्यवहार तथा वित्तीय अनुशासन का भी पता लगाया जा सकें। इस सेवा का ऋण की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जावें ताकि शाखा प्रबंधक एवं शाखा स्टॉफ खराब ऋण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से सुरक्षित रह सकें।
16	अच्छे ऋण प्रस्ताव, सुदृढ आवेदकों अथवा पूर्व में ऋण का समय पर चुकारा करने वाले आवेदकों के मामले में शाखा प्रबंधक की अनुशंसा पर अनुमोदित ऋण योजना के प्रावधानों में छूट दिये जाने का अधिकार संचालकगणों की ऋण समिति को प्रदान किये गये है। अतः शाखा प्रबंधक इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्ण आश्वस्त होने पर अपनी स्पष्ट अनुसंशा सहित प्रकरण लेखा एवं वित्त अनुभाग को भिजवायें।
17	योजना बाबत भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी।
18	एफआई (**Financial Investegation**) करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निम्न बिन्दुओं का ध्यान में रखा जावेः–
18.1	आवेदक के निवास स्थान व कार्यालय/प्रतिष्ठान का विजिट किया जायें। विजिट किये गये दोनो स्थानों के निकट रहने वाले व्यक्तियों/सह कर्मचारियों से आवेदक की साख की जानकारी की जावें। जिन व्यक्तियों से जानकारी की गई है उनका नाम व फोन नम्बर व पता रिपोर्ट में अंकित किया जायें।
18.2	आवेदक द्वारा पूर्व में यदि कोई ऋण लिया हुआ है तो उसके चुकारे की सही– सही जानकारी हेतु ऋण देने वाली पूर्ववर्ती बैंक की शाखा से जानकारी की जावें। निवास स्थान एवं प्रतिष्ठान/ कार्यालय के नजदीक स्थिति बैंक शाखाओं से भी जानकारी की जावें।
18.3	उपरोक्त दोनो कार्यवाहियों अथवा अन्य स्त्रोंतो से आवेदक के संबंध में यदि कोई संदिग्ध जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित पुलिस थाने में जाकर रिकार्ड देखा जा सकता है।
18.4	बैंक को रहन रखी जाने वाली सम्पत्ति पर भैतिक कब्जा स्वंय आवेदक का है अथवा सम्पत्ति किसी अन्य द्वारा प्रयोग में ली जा रही है की जानकारी कर टिप्पणी अंकित की जावें। यदि सम्पत्ति किराये पर दी हुई है तो किरायेदार से कोई विवाद आदि नहीं होना जॉचा जावें। किरायेदार से हुई वार्ता व किरायेदार का नाम व पता भी अंकित किया जावे।

18.5	आवेदक के निवास के रहन सहन के स्तर से उसकी आय व वित्तीय सक्षमता का आंकलन किया जावे।
18.6	आवेदक के साथ ही सह–आवेदक एवं जमानतदारों के संबंध में भी उपरोक्तानुसार एफआई की जावें। एफआई के समय ही आवेदक के बैंक खातें की प्रति प्राप्त कर उसपर आवश्यक जानकारी कर ली जावें।
19	ऋण स्वीकृति उपरांत व निर्गमन से पूर्व निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जावें:– 1. लेटर ऑफ एक्सेपटेन्स 2. मांग वचन पत्र 3. समय वचन पत्र 4. ऋण अनुबंध 5. जमानतनामा 6. मोर्टगेज डीड
20	ऋणी की आयकर विवरणी की प्रति, प्रतिवर्ष प्राप्त कर आयकर का भुगतान किया जाना व इसी प्रकार ऋणी द्वारा भूमि/भवन कर नगरीय विकास कर आदि का समय पर भुगतान करना जॉचा जावें। ऋण स्वीकृति के पूर्व की अवधि की इन सभी देयताओं की पूर्ति के प्रति आश्वस्तहोकर ही ऋण स्वीकृत किया जावे। ऋण निर्गमन के उपरांत की अवधि में इन देयताओं में चूक होने पर ऋणी का स्मरण करवाया जावें।
21	स्वीकृत ऋण के दुरूपयोग अथवा अनुबन्ध एवं ऋण स्वीकृति की शर्तो का अथवा अन्यथा उल्लंघन पाये जाने पर बैंक को ऋण की स्वीकृति रद्द करने/ जारी किये गये ऋण की समस्त राशि मय ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं अन्य खर्चों के एकमुश्त वसूल करने का अधिकार होगा।

00000000

<u>दी राजस्थान स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि0, जयपुर</u>

व्यक्तियों, व्यापारिक फर्मो आदि की आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु

<u>अचल सम्पत्ति रहन के विरूद्ध ऋण योजना</u>

(दिनांक 22–05–2014 को सम्पन्न संचालक मंडल की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार बिन्दु संख्या 4.3 के संशोधनो को समाहित करते हुये।)

योजना का नाम '' अचल सम्पत्ति रहन के विरूद्ध ऋण योजना'' होगा	
1–	<u>उद्देश्य</u> इस योजना के निम्न उद्देश्य होंगेः–
1.1	व्यक्ति की विधि सम्मत आकस्मिक पारिवारिक, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अचल सम्पत्ति रहन रख कर सावधि ऋण /लिमिट के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।
1.2	व्यापारिक फर्म की आकस्मिक व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अचल सम्पत्ति रहन रख कर सावधि ऋण/ लिमिट उपलब्ध करवाना।
1.3	किसी भी प्रकार की पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, वाहन क्रय हेतु, उच्च शिक्षा हेतु अतिरिक्त अचल सम्पत्ति निर्माण आदि कार्यों हेतु अचल सम्पत्ति रहन रख कर ऋण उपलब्ध करवाना।
1.4	इस योजनांतर्गत केवल एक स्थान पर स्थित अचल सम्पति पर ही ऋण उपलब्ध कराया जावेगा। यदि सम्पत्ति दो अलग–अलग स्थानों पर है तो उनमें से बैंक के कार्य क्षेत्र में स्थित केवल एक सम्पत्ति के रहन के विरूद्ध ही ऋण दिया जा सकेगा।
1.5	एक सम्पत्ति के विरूद्व एक प्रकार का ऋण ही स्वीकृत किया जा सकेगा। अर्थात जिस सम्पत्ति के निर्माण/ क्रय आदि हेतु आवास ऋण स्वीकृत है,पर ऋण बकाया रहने तक इस योजनान्तर्गत ऋण नहीं दिया जा सकेगा।
2–	<u>पात्रता</u> राजस्थान राज्य का कोई भी निवासी जो निम्नांकित परिधि में आता हो, इस योजनांतर्गत ऋण प्राप्त कर सकता हैः–
2.1	सरकारी/अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्था अथवा सार्वजनिक (सीमित दायित्व) कम्पनियों में कार्यरत स्थाई वेतनभोगी कर्मचारी जिसके पास बैंक के कार्य क्षेत्र में रहन रखने हेतु भार रहित अचल सम्पत्ति वास्तविक कब्जे में उपलब्ध हो।

2.2	● गैर वेतनभोगी व्यक्ति/विधिक व्यक्ति (पंजीकृत संस्था,व्यापारिक फर्म आदि)जो पिछले 3 वर्षो से आयकर निर्धारिती है एवं उसे स्थाई खाता संख्या आबंटित है एवं उसके पास बैंक कार्य क्षेत्र में रहन रखने हेतु भार रहित अचल सम्पत्ति वास्तविक कब्जे में उपलब्ध हो। ● शीर्ष बैंक स्तर से जारी परिपत्र क्रमांक 10072 दिनांक 28–01–2010 के अनुसार इस हेतु यह ध्यान में रखा जावें कि तीन वर्ष की विवरणियॉ ऋण लेने के प्रयोजन से एक साथ भरकर खाना पूर्ति नहीं की हुई हो, अर्थात वर्ष विशेष की विवरणियॉ आयकर विभाग द्वारा हेतु निर्धारित समय अवधि में ही जमा करवाई गई हों। ● अस्थाई प्रकृति की आय जैसे सिलाई, ट्यूशन पढाने, हॉकर, बच्चों के पालनागृह चलाना को दीर्घावधि आय के स्त्रोत नहीं माना जायें अर्थात ऋण की पुर्नभुगतान क्षमता के आंकलन में इस प्रकार के व्यवसाय से दर्शायी जाने वाली आय को सम्मिलित नहीं किया जायें। ● शीर्ष बैंक के परिपत्र क्रमांक 10072 दिनांक 28–01–2010 से निर्देशित किया गया था कि '' एक ही भूमि पर भू–खण्ड क्रय करने एवं निर्माण हेतु आवास ऋण स्वीकृति उपरांत स्वीकृत ऋण के बकाया रहने तक उसी भूमि पर मोर्गेज ऋण अथवा अन्य कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया जावेगा।'' तदउपरांत शीर्ष बैंक के परिपत्र क्रमांक 4464 दिनांक 4–8–2010 से उक्त नियम में संशोधन करते हुये निर्णय लिया गया कि यदि कोई ऋणी पूर्व में लिये गये ऋण की नियमित किश्तें तीन–चार वर्षो से जमा करवा रहा है तथा उसकी आय के अनुसार नवीन ऋण की पुर्नभुगतान क्षमता भी बनती है तो ऐसे ऋणी/ ग्राहकों को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु पूर्ववर्ती ऋण से निर्मित सम्पत्ति की सिक्यूरिटी पर इस शर्त के साथ ऋण दिया जा सकेगा कि दोनो ऋणों के विरूद्व कुल बकाया की सीमा सम्पत्ति के मूल्यांकन के आधे तक ही सीमित हो अर्थात दोनो ऋण अन्तर्गत अधिकतम बकाया से दूगने मूल्य की सम्पत्ति बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन माप दण्डों के अनुरूप उपलब्ध हों। आवेदनकर्त्ता की नौकरी अथवा व्यवसाय से होने वाली आय से दोनों ऋणों की पुर्नभुगतान क्षमता सुनिश्चित की जावें। ● किसी व्यक्ति विशेष को एक से अधिक ऋण स्वीकृत करते समय नाबार्ड की ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था (सीएमए) में निर्देशित एक्सपोजर नोर्मस की सीमा का ध्यान रखा जावे, जो वर्तमान में प्रति व्यक्ति(व्यक्ति, एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप फर्म आदि) अधिकतम रूपये 40.00 लाख है।
2.3	अचल सम्पत्ति आवासीय भूमि/भवन, वाणिज्यिक भूमि/निर्मित परिसर आदि राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो तथा ऋणी के नाम पर उसके वास्तविक कब्जे में होनी चाहिये। इसमें मशीनरी आदि सम्मिलित नहीं होगी।
2.4	इस योजनांतर्गत ऋण दो व्यक्तियों के संयुक्त नाम पर भी स्वीकृत किये जा सकेंगे। गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में दोनों व्यक्तियों में से कम से कम एक का आयकर निर्धारिती होना आवश्यक है। सह–ऋण प्रार्थी पति, पत्नी, माता, पिता, पुत्र अथवा पुत्रवधु हो सकती है।
2.5	आवेदक की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम 60 वर्ष हो सकती है।
3	<u>योजना का कार्यक्षेत्र</u> इस योजना के अंतर्गत दी राजस्थान स्टेट को–आपरेटिव बैंक लि0 की शाखाओं द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले पचास हजार से अधिक की जनसंख्या वाले कस्बे/शहर में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों को ऋण दिया जा सकेगा जिनकी रहन रखने योग्य अचल सम्पत्ति भी बैंक कार्यक्षेत्र वाले कस्बे/शहर में स्थित हो।

4	ऋण राशि एवं ऋणी का अंशदान
4.1	न्यूनतम ऋण राशि रूपये 1.00 लाख एवं अधिकतम रूपये 35.00 लाख का ऋण दिया जा सकेगा।
4.2	अचल सम्पत्ति की डीएलसी कीमत अथवा बाजार दर दोनों में से जो भी कम हो, की 60 प्रतिशत राशि तक का ऋण इस योजनांतर्गत उपलब्ध कराया जा सकेगा। सम्पत्ति की कीमत का आंकलन बैंक के अधिकृत मूल्यांकनकर्ता से कराया जावेगा।
4.3	यह ऋण निम्न प्रकार से ऋणी की आवश्यकतानुसार स्वीकृत किया जा सकेगाः– 1. सावधि ऋणः– अधिकतम 10 वर्ष हेतु। 2. साख सीमा के रूप में लिमिट– **अधिकतम रूपये 5.00 लाख तक ही स्वीकृत की जावे, यदि ऋणी की पात्रता अधिक राशि की बनती है तो शेष राशि पूंजीगत ऋण के रूप में स्वीकृत की जावें।**
5	ऋण की अवधि
5.1	इस योजनांतर्गत ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि (स्थगन एवं पुर्नभुगतान अवधि सहित) गैर वेतनभोगी आवेदक हेतु 15 वर्ष, वेतनभोगी कर्मचारी के मामले में 20 वर्ष अथवा कर्मचारी के सेवानिवृति की तिथि अथवा अन्य मामलों में 65 वर्ष की आयु में से जो भी कम होगी, के आधार पर निर्धारित की जावेगी। अधिकतम आयु सीमा के अन्तर्गत सह–आवेदक या आवेदक किसी एक की आयु अनुमत सीमा में होने पर ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा चाहे द्वितीय आवेदक सह– आवेदक की आयु अधिक हो।
5.2	ऋण पुनर्भुगतान की अवधि का निर्धारण ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता एवं ऋण राशि के आधार पर किया जावेगा।
5.3	साख सीमा के रूप में लिमिट स्वीकृति पर प्रति वर्ष लिमिट का नवीनीकरण निर्धारित अवधि पूर्व करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लिमिट अवधिपार हो जावेगी एवं ऐसी दशा में बैंक द्वारा एक मुश्त ऋण वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी एवं ऋणी द्वारा दण्डनीयब्याज भी देय होगा।
6	ऋण पर ब्याज
6.1	योजनांतर्गत अग्रिम किये गये ऋण पर ब्याज दर बैंक द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाती रहेगी एवं सावधि ऋण स्वीकृति के समय जो ब्याज दर होगी वह उक्त ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान अवधि तक लागू रहेगी। परिवर्तनीय ब्याज दर का विकल्प लेने पर बैंक द्वारा ब्याज दर में परिवर्तन के साथ स्वमेव ही ब्याज दर में परिवर्तन हो जावेगा।
6.2	साख सीमा के रूप में स्वीकृत ऋण पर परिवर्तनीय ब्याज दर का विकल्प लागू होगा।

6.3	ऋण राशि पर ब्याज मासिक आधार पर वसूल किया जावेगा।
6.4	समान मासिक किश्तों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने पर अवधिपार राशि पर 3.00 प्रतिशत वार्षिक की दर से दण्डनीय ब्याज भी चूक की अवधि तक, चूक की राशि पर अतिरिक्त वसूल किया जावेगा। दण्डनीय ब्याज भी मासिक आधार पर वसूल किया जावेगा।
7–	पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन
7.1	सामान्यतया ऋण की पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन ऋणी आय के अधिकतम 50 प्रतिशत के बराबर पर किया जावेगा परन्तु वेतन से होने वाली कटौतियों, मासिक खर्चों एवं बचत क्षमता के आधार पर इसे कम भी किया जा सकेगा। इस संबंध में नाबार्ड की ऋण अनुप्रवर्तन प्रणाली अन्तर्गत व्यक्तियों हेतु निर्धारित एक्सपोजर मापदण्डों की पालना सुनिश्चित करनी होगी साथ ही ऋण वितरण से पूर्व स्वंय शाखा प्रबंधक द्वारा सम्पत्ति का भौतिक सत्यान किया जावेगा।
7.2	संयुक्त अथवा सह–ऋणी के मामले में पुनर्भुगतान क्षमता की गणना दोनों की कुल आय के 40 प्रतिशत के बराबर ली जा सकेगी (यदि सयुक्त/सह– ऋणी) बिन्दु सं0 2 में वर्गीकृत श्रेणी के वेतनभोगी कर्मचारी हों अथवा आयकर निर्धारिती हों।)
7.3	वेतनभोगी कर्मचारियों के अतिरिक्त विधिक व्यक्ति की आय की गणना पिछले 3 वर्षों की औसत वार्षिक आय के आधार पर की जावेगी।
7.4	पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर ऋणी द्वारा मासिक समान किश्तों में पुनर्भुगतान किया जावेगा एवं पुनर्भुगतान ऋण राशि निर्गमित करने की दिनांक के अगले माह से ही प्रारम्भ हो जावेगी।
7.5	ऋणी /एवं सह–ऋणी की पुनर्भुगतान क्षमता का आंकलन करते समय उनके द्वारा अन्य संस्थाओं से लिये गये ऋण, खर्चों आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।
8	ऋण की सुरक्षा/प्रत्याभूति इस योजनांतर्गत अग्रिम किये गये ऋण को निम्नानुसार प्रत्याभूति प्राप्त कर सुरक्षित किया जावेगा :–
8.1	जिस अचल सम्पत्ति को रहन रख कर ऋण लिया गया है वह सम्पूर्ण सम्पत्ति बैंक के पक्ष में साम्य/पंजीकृत बंधक के रूप में रहेगी तथा बैंक का उस सम्पत्ति पर प्रथम भार रहेगा।
8.2	प्रार्थी द्वारा प्राप्त ऋण एवं उस पर लगाये गये ब्याज के पूर्ण भुगतान के लिये बैंक सन्तुष्टि वाली आर्थिक क्षमता वाले एक व्यक्ति की जमानत।
8.3	ऋणी द्वारा निर्धारित मासिक समान किश्तों के अग्रिम चैक (अन्य बैंक के) बैंक के पक्ष में भर

	कर जमा कराने होंगे ताकि समान मासिक किश्तों का नियमित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
9	बीमा
9.1	योजनांतर्गत रहन रखी गई सम्पत्ति का आग एवं अन्य खतरों के लिये बैंक के संयुक्त नाम से बीमा करवाना अनिवार्य होगा। बीमा के प्रीमियम की राशि का भुगतान ऋणी द्वारा किया जावेगा। ऋणी द्वारा बीमा नहीं कराने की स्थिति में बैंक द्वारा बीमा कराया जावेगा जिसके प्रीमियम की राशि ऋणी के ऋण खाते में नामे लिखी जावेगी।
9.2	प्रारम्भिक तौर पर ऋण लेने के एक माह के अंदर सम्पत्ति का बीमा कराना होगा तथा बाद में उसका प्रति वर्ष नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा जिनकी छाया प्रति ऋणी द्वारा शाखा प्रबन्धक को उपलब्ध कराई जावेगी। समय पर बीमा सुनिश्चित करने के लिये शाखा प्रबन्धक द्वारा ड्यू डेट डायरी रखी जावेगी।
10	स्वीकृत ऋण का आहरण
10.1	सावधि ऋण के मामले में ऋणी द्वारा स्वीकृत ऋण का आहरण एकमुश्त किया जा सकेगा। साख सीमा की दशा में लिमिट अन्तर्गत आवश्यकतानुसार ऋणी ऋण राशि के आहरण के लिये स्वतंत्र होगा।
11 11.1	सदस्यता ऋण के इच्छुक प्रार्थी/प्रार्थीगण तथा जमानतदार को आवश्यक रूप से बैंक का नोमिनल सदस्य बनना होगा। इस प्रयोजन हेतु प्रार्थीगण तथा जमानतदातार को 10/– रूपया सदस्यता शुल्क एवं उप–नियमों के तहत रूपये 1000/– की मियादी अमानत, जिसकी अवधि ऋण चुकारे की कुल अवधि से अधिक हो, जमा करानी होगी।
12	अन्य
12.1	स्वीकृत ऋण के दुरूपयोग अथवा अनुबन्ध एवं ऋण स्वीकृति की शर्तो का अथवा अन्यथा उल्लंघन पाये जाने पर बैंक को ऋण की स्वीकृति रद्द करने/ जारी किये गये ऋण की समस्त राशि मय ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं अन्य खर्चों के एकमुश्त वसूल करने का अधिकार होगा।
13	ऋण स्वीकृति के अधिकार
13.1	शाखा स्तर पर ऋण स्वीकृति निम्न गठित कमेटी द्वारा की जावेगीः– अ– सहायक महा प्रबंधक स्तर की शाखा– 1. सहायक महा प्रबंधक 2. वरिष्ठ प्रबंधक 3. प्रबंधक(ऋण) ब– वरिष्ठ प्रबंधक स्तर की शाखा–

	1. वरिष्ठ प्रबंधक 2. प्रबंधक(ऋण)
13.2	शाखा स्तर पर व्यक्तिगत ऋणों हेतु पूर्व में प्रदत्त स्वीकृति के अधिकारों को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है– <table><tr><td>वरिष्ठ प्रबंधक स्तर की शाखा ऋण समिति</td><td>रूपये 2.00 लाख तक</td></tr><tr><td>सहायक महाप्रबंधक स्तर की शाखा ऋण समिति</td><td>रूपये 5.00 लाख तक</td></tr></table>शाखा स्तर पर स्वीकृति की अधिकतम सीमा से अधिक राशि के ऋण आवेदन पत्र, वित्तीय जॉच कर शाखा स्तर पर गठित समिति की सिफारिश के साथ लेखा एवं वित्त अनुभाग, प्रधान कार्यालय को प्रेषित किये जावेगे।
13.3	प्रधान कार्यालय स्तर पर शाखाओं से वर्णित प्रयोजनों बाबत रूपये 5.00 लाख तक के ऋण प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु निम्न कमेटी अधिकृत है:– <table><tr><td>महा प्रबंधक</td><td>अध्यक्ष</td></tr><tr><td>उप–महाप्रबंधक(परिचालन)</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>उप–महाप्रबंधक(लेखा एवं वित्त)</td><td>सदस्य सचिव</td></tr></table>महाप्रबंधक को यह अधिकार होगा कि प्रधान कार्यालय स्तर पर प्राप्त होने वाले ऋण आवेदन पत्रों की वित्तीय जॉच प्रधान कार्यालय स्तर पर कार्यरत किसी अधिकारी को अधिकृत कर की जा सकेगी।
13.4	प्रबंध निदेशक बैंक द्वारा प्रधान कार्यालय स्तर की समिति की अनुशंसा पर रूपये 15.00 लाख तक का ऋण स्वीकृत किया जावेगा।
13.5	रूपये 15.00 लाख से अधिक का ऋण अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में गठित निम्न कमेटी द्वारा स्वीकृत किया जावेगा:– <table><tr><td>श्रीमति लीला मदेरणा</td><td>अध्यक्ष</td></tr><tr><td>श्री मुरवीर सिंह</td><td>सदस्य</td></tr><tr><td>श्री संदीप डूंडी</td><td>lnL;</td></tr><tr><td>प्रबंध निदेशक</td><td>lnL; lfpo</td></tr></table>प्रबंध निदेशक, बैंक समिति के सदस्य सचिव नामित है।
14	<u>प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क</u>
14.1	इस योजनांतर्गत ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृत ऋण राशि के 1.00 प्रतिशत की दर से (न्यूनतम रूपये 1000/–) प्रसंस्करण शुल्क जमा कराना आवश्यक होगा। उक्त राशि में से ऋण आवेदन–पत्र के साथ रूपये 1000/– जमा कराने होंगे जो वापिस देय नहीं होंगे। शेष राशि ऋण अग्रिम से पूर्व जमा करानी आवश्यक होगी। यदि सर्विस टैक्स आदि भी देय हो तो वह ऋणी द्वारा पृथक से देय होगा।

15	<u>दस्तावेजः</u>
15.1	उक्त ऋण अग्रिम के संबंध में बैंक द्वारा, निर्धारित निम्नांकित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगेः– 1. गैर–वेतनभोगी आवेदक / सह आवेदक द्वारा गत 3 वर्ष की आयकर विवरणी दाखिल करने / एसेसमेन्ट आदेश की प्रति। 2. वेतनभोगी आवेदक / सह आवेदक की गत 3 माह के वेतन एवं कटौतियों का नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाण–पत्र। 3. आवेदक / सह आवेदक का निवास का प्रमाण–पत्र (मतदाता पहचान पत्र / ड्राईविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई लेखा संख्या की प्रति अथवा बिजली / पानी के बिल की प्रति।) 4– आयु का प्रमाण–पत्र। 5– ऋण के उपयोग संबंधी विवरण । 6–अचल सम्पत्ति के आवंटन / क्रय करने सम्बन्धी दस्तावेज (मालिकाना हक के दस्तावेज) की प्रति। 7– जयपुर विकास प्राधिकरण / नगर विकास न्यास / नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद द्वारा अनुमोदित मान–चित्र की प्रति या निर्माण की अनुमति। 8– रहन रखी जाने वाली अचल सम्पत्ति पर मालिकाना हक व हक का गत 15 वर्ष का भार रहित प्रमाण–पत्र।
	शीर्ष बैंक के लेखा एवं वित्त अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 23–03–2011 के निर्देशानुसार ऋण प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व कम्प्यूटर पर इन्टरनेट से संबंधित ग्राहक तथा गारण्टर की सिबिल की वेबसाईट cibil.com से CREDIT INFORMATION REPORT प्राप्त करें ताकि ऋणी तथा गारण्टर की विविध विगत के साथ साथ अन्य बैंकों के साथ उनके चल रहे ऋण व्यवहार तथा वित्तीय अनुशासन का भी पता लगाया जा ससकें। इस सेवा का ऋण की सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जायेताकि शाखा प्रबंधक एवं शाखा स्टाफ खराब ऋण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से सुरक्षित रह सकें।

000000